बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

मुख्य सचिवालय, ब्लॉक–2, द्वितीय तल, पटना–800015

कार्यालय आदेश संख्या 320 /2026

सं0सं0 अ0नि0 (02) 129 / 2026 / नि0सं0

श्री दिलावार राठी, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, मधुबनी को वित्त विभाग के पत्रांक 9889 दिनांक 01.12.2015 के आलोक में दिनांक 30.10.2026 से 13.11.2026 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों का पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री राठी के अवकाश अवधि में इनकें कार्यों का निष्पादन श्री रूपेश राज, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, मधुबनी द्वारा किया जायेगा।

इसमें प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
उप सचिव।

ज्ञापांक अ0नि0 (02) 129 / 2026 / नि0सं0..... दिनांक.....

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, मधुबनी / मुख्य अभियोजक, मधुबनी / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / श्री दिलावार राठी, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, मधुबनी / श्री रूपेश राज, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
उप सचिव।

ज्ञापांकः अ0नि0 (02) 129 / 2026 / नि0सं0 2901 दिनांक 27/10/26

प्रतिलिपिः– प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/10/26
उप सचिव।